

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) जैसलमेर
(पीठारीन अधिकारी श्री परसा राम आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या : 48/2025

प्रार्थी

GCMS NO-2025/12

अप्रार्थी

किसनाराम कड़वारा, खादय
सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य वनाम
अधिकारी, जैसलमेर।

1. श्री रेखाराम पुत्र श्री जियाराम उम्र
45 वर्ष निवासी डेलुओं की ढाणी
सोहडा तहसील गिड़ा वालोतरा
(मालिक/विक्रेता) मैसर्स चौधरी
भोजनालय गड़ीसर चौराहा
जैसलमेर। मो0 9413090758

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 उपधारा (11) खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011
उपस्थित :-

1. खादय सुरक्षा अधिकारी, जैसलमेर।
2. अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से रेखा राम उपस्थित।

:: निर्णय ::

दिनांक: 18.06.2025

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र खादय सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 26
उपधारा (11) के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध न्याय निर्णयन हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना
पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलव किया गया। प्रकरण में
संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 27.02.2025 को दोपहर 05.45 पीएम पर
दौरान निरीक्षणार्थ मैसर्स चौधरी भोजनालय गड़ीसर चौराहा जैसलमेर का निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान मैसर्स चौधरी भोजनालय गड़ीसर चौराहा जैसलमेर पर श्री रेखाराम पुत्र
श्री जियाराम उम्र 45 वर्ष निवासी डेलुओं की ढाणी सोहडा तहसील गिड़ा वालोतरा (विक्रेता)
कारोवार कर रहा था जिसका विक्रेता होना बताया। उसको अपना परिचय देकर व परिचय
पत्र दिखाकर उससे खादय अनुज्ञापत्र दिखाने को कहा तो उसने खादय अनुज्ञापत्र व आधार
कार्ड की प्रति प्रस्तुत की जिसकी छाया प्रतियां संलग्न है। प्रार्थी ने मौके पर निरीक्षणार्थ
दुकान के अन्दर घी (लूज) रखा मिला जिसके मिलावट का संदेह होने पर नमूने लेने वास्ते
विक्रेता को कहा एवं मौके पर फार्म संख्या 5 ए की प्रति तैयार कर गवाहन व स्वयं के
हस्ताक्षर करवाकर फार्म संख्या 5 ए की एक प्रति मौके पर मालिक विक्रेता को दी और प्राप्ति
रसीद ली जो प्रार्थना पत्र में संलग्न है। तत्पश्चात घी (लूज) 1000 ग्राम के नमूने वास्ते तोल
कर दिया, जिसके पेटे 650/- रूपये नगद देकर गवाहन, विक्रेता एवं स्वयं के हस्ताक्षर कर
रसीद प्राप्त की जो संलग्न है। खरीद सुदा घी (लूज) को चार भागों में विभक्त कर चार
खाली शिशियों में डाला तथा डालकर चारों शिशियों को अच्छी तरह से बंद किए। मौके पर
लेवल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाएं एवं लेबलों पर डीओ कोड एवं सीरियल
नम्बर एन-2157 दर्ज किया। प्रत्येक लेवल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता एवं गवाहन
के हस्ताक्षर करवाये। और शिशियों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग
पर डीओ जैसलमेर की हस्ताक्षर सुधा पेपर रिलप एन-2157 नियमानुसार चारों नमूनों पर
नीचे से उपर तक गोद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को पेपर रिलप उपर धागे से
वांधकर नियमानुसार चार-चार जगह द्वारा सील से मोहर चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग
पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर रिलप व रेपर
दोनों पर हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने खादय पदार्थ का विवरण एन-2157 घी (लूज) लिख

न्याय निर्णयन अधिकारी
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जैसलमेर

कर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों भागों को अपने कब्जे में लिया एवं मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहों को मौके पर पढ़ाकर सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जो उन्होंने पढ़कर सुनकर समझकर सही मान कर हस्ताक्षर किये एवं मैंने स्वयं ने मौका फर्द पर हस्ताक्षर किये। जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नम्बर 06 की 06 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील इम्प्रेसन लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 06 की आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जयपुर को हरिसिंह होमगार्ड कार्यालय हाजा के द्वारा दिनांक 03.03.2025 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म नम्बर 06 की प्रति अलग से लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्यविश्लेषक जोधपुर को जमा कराकर फार्म संख्या 06 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियां के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को दिनांक 27.02.2025 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी को डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर के पत्र क्रमांक 4610 दिनांक 26.03.2025 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाद्यसुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला राज. जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या L.S./770/Act/2025/790 दिनांक 26.03.2025 अनुसार उक्त नमूना सवस्टेण्डर्ड पाया गया जिनकी जांच रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी ने पत्रावली कागजात पेश करने के बाद श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर ने पत्र क्रमांक /एफएसएसए /2025/स्वीकृति/एन-2157/6766 दिनांक 11.05.2025 के द्वारा आवेदक खाद्यसुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। उक्त केस में विक्रेता श्री रेखाराम पुत्र श्री जियाराम उम्र 45 वर्ष निवासी डेलुओं की ढाणी सोहडा तहसील गिड़ा वालोतरा (विक्रेता) मैसर्स चौधरी भोजनालय गड़ीसर चौराहा जैसलमेर के द्वारा सवस्टेण्डर्ड घी (लूज) का विक्रय करके खाद्यसुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (II) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्यसुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। प्रार्थी ने निवेदन किया कि अप्रार्थीगण को अधिक से अधिक जुर्माना से दण्डित करने की कृपा करें जिससे दिन प्रतिदिन दैनिक जीवन में हो रही मिलावट पर अंकुश लग सकें।

अप्रार्थी सं. 01 की ओर से प्राप्त जवाब के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है अप्रार्थी ने बताया कि घर की गाय से निर्मित खाद्य सामग्री घी (लूज)को विक्रय हेतु रखा गया था इसमें किसी भी प्रकार की हेराफेरी नहीं की भविष्य में ध्यान रखकर विक्रय करने का संकल्प लिया।

दोनों पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया एवं न्यायालय में हाजीर हुआ है। अवलोकन व अनुशीलन किया गया, व प्रार्थी की बहस सुनने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि खाद्यसुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट L.S./770/Act/2025/790 दिनांक 26.03.2025 अनुसार उक्त नमूना सवस्टेण्डर्ड पाया गया। अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत कर बताया कि उसके द्वारा किसी भी प्रकार की हेराफेरी नहीं की गई है और भविष्य में ध्यान रखकर विक्रय करने का संकल्प लिया।

अतः खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत जुर्माने के हेतु मनन किया गया। पत्रावली पर स्पष्ट तथ्य नहीं है कि अप्रार्थी ने कितना व कब से अनुचित लाभ कमाया। चूंकि अप्रार्थीगण प्रथम बार दोषी पाए गए हैं उसको मध्य-नजर रखते हुए न्यायहित में शारित आरोपित की जाती है एवं भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहो इसकी भी

न्यायनिर्णयन
अतिरिक्त जिला मा.
जैसलमेर

चेतावनी दी जाती है। अप्रार्थीगण द्वारा कारित दोषपूर्ण कृत्य की गम्भीरता तथा इसके आमजन के स्वास्थ्य पर पडने वाले नकारात्मक प्रभाव को देखते हुए हमारे विनम्र अभिमत में प्रकरण में अधिकतम विहित शास्ति अधिरोपित किया जाना विधि संगत एवं उचित होगा, जिसे अप्रार्थी पर निम्नानुसार शास्ति आरोपित की जाती है:-

1. श्री रेखाराम पुत्र श्री जियाराम उम्र 45 वर्ष निवासी डेलुओं की ढाणी सोहडा तहसील गिडा बालोतरा (मालिक/विक्रेता) मैसर्स चौधरी भोजनालय गड़ीसर चौराहा जैसलमेर पर शास्ति राशी 1000/- एक हजार अक्षरे रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है।

साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि अप्रार्थी से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। अप्रार्थीगणों द्वारा यदि उक्त निर्णय दिनांक के एक माह पश्चात् यानि निश्चित समयावधि में शास्ति शुल्क जमा नहीं करवाया जाता है तो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत उनके लाईसेन्स को निलम्बित कर भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली की कार्यवाही की जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(परसा राम)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जैसलमेर
दिनांक 01/7/2025

क्रमांक:कोर्ट/2025/905-907

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. मुख्य जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर

2. श्री प्रवीण चौधरी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर।

3. श्री रेखाराम पुत्र श्री जियाराम उम्र 45 वर्ष निवासी डेलुओं की ढाणी सोहडा तहसील गिडा बालोतरा (मालिक/विक्रेता) मैसर्स चौधरी भोजनालय गड़ीसर चौराहा जैसलमेर।
मो0 8949835507

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जैसलमेर